



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 327 सन् 2026

शाहिद इकबाल एवं 8 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : गुलरेज़ खान, परवेज़ हुसैन खान

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

संदर्भ: संशोधन आवेदन संख्या - 2 सन् 2026

1. संशोधन आवेदन के माध्यम से दिनांक 16.01.2026 के आदेश में निम्नलिखित संशोधन किए जाने का अनुरोध किया गया है:

(क) आदेश के पैरा संख्या 4 की दूसरी पंक्ति में शब्द " और व सेवानिवृत्त हुए 31.10.2023 और 30.09.2025" हटाए जाएं।

(ख) अनुच्छेद संख्या 4 की सातवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द " रिट याचिकाकर्ताओं को अपनी सेवानिवृत्ति के समय ₹9300-34800 के वेतन बैंड तथा ₹4600/-" ग्रेड पे का लाभ प्राप्त हो रहा था' को विलोपित किया जाए।"

ग) अनुच्छेद संख्या 9 में प्रयुक्त शब्द " 31.10.2023 एवं 30.09.2025 को उनकी सेवानिवृत्ति से पूर्व; तथापि, सेवानिवृत्ति के पश्चात, वही " को विलोपित किया जाए।

(घ) अनुच्छेद संख्या 12 के खंड 'बी' में प्रयुक्त शब्द " तत्पश्चात, रिट याचिकाकर्ताओं के सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों का भुगतान किया जाएगा, जो आगे पारित किए जाने वाले आदेश के परिणाम के अधीन होगा " को विलोपित किया जाए।

2. तदनुसार, संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है।

जनवरी 23, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"